



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक एफ 13 () शैक्ष/मदसविवि/2026/

दिनांक:- .07.26

शुद्धि-पत्र

विद्या परिषद की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 06 एवं 07 को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

निर्णय संख्या 06	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
निर्णय संख्या 07	उक्त अध्यादेश के बिन्दु संख्या 5.2 में "Serving and superannuated Professors from reputed HEIs shall be eligible. " के स्थान पर "Only serving and superannuated Professors from reputed HEIs shall be eligible. " का संशोधन करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

उक्त शुद्धि-पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

६०

क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2026/4072-4/29

कुलसचिव

दिनांक:- 17.07.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विद्या परिषद् के समस्त सदस्यगण ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
3. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
4. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. ✓ वैब एडमिनिस्ट्रेटर, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के सूचनार्थ उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें ।
6. कुलगुरु सचिवालय, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
7. निजी सहायक म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

सहा. कुलसचिव (शैक्ष)